

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, जूनामीठा खेड़ा)

प्रकरण सं.:-46/2018


दिनांक:-01.06.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1047

आदेश

वादी के वाद पत्र व पटवारी होडू एवं भू.अ.नि.होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम पोटलियो की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 87 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पोटलियो की ढाणी	87	1002/2 1843/2	बाबूराम पुत्र भैराराम	बाबूलाल पुत्र भैराराम <u>शेष बदुस्तर</u>


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:-01.06.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1048-1050

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी पोटलियो की ढाणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी